




भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
प्रभारी अधिकारी का कार्यालय
O/o THE OFFICER IN-CHARGE

सन्दर्भ क्र. : भाविप्रा/एनपी/एचआर/आरटीआई/2026/ 9335-36(a)

दिनांक: 18.02.2026

स्पीड पोस्ट / अति तत्काल

प्रति,



विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गयी सूचना / Request for information under RTI Act 2005.

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में, आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के सन्दर्भ में निम्नलिखित आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ ।

Sr. No.	RTI Registration No.	Date of Receipt
1	AAIMU/R/T/26/00027	02-02-2026

अतः आपको नागपुर विमानतल के सन्दर्भ में सूचना इस पत्र के माध्यम से प्रदान की जा रही है ।

आपके द्वारा मांगी गई सूचना नागपुर विमानतल के संदर्भ में निम्नानुसार है ।

Sr. No.	Information Sought	Reply
1.	1 - Is Satcol REQUIRED for Daily Allowance for Area Course in CATC/HTC/NIATAM ?	Pertains to NIATAM
2	2 - Why Chennai Airport (SR-HR) denying Daily allowance for Employees who went for Area course without Satcol ? Please provide CHQ policy in this case.	Information Doesn't Pertain to Nagpur.
3	3 - AAI is a central government organization, Does Daily allowance policy is decided by CHQ or RHQs ?	By CHQ
4	4 - How many ATCs join AAI in 2025, And how many employees got their uniform clothing? Why Chennai new joinees didnot get the uniform? The reason for delay	Information Doesn't Pertain to Nagpur.

आपके द्वारा मांगी गई सूचना अकोला विमानतल के संदर्भ में निम्नानुसार है।

Sr. No.	Information Sought	Reply
1.	1 - Is Satcol REQUIRED for Daily Allowance for Area Course in CATC/HTC/NIATAM ?	Pertains to NIATAM
2	2 - Why Chennai Airport (SR-HR) denying Daily allowance for Employees who went for Area course without Satcol ? Please provide CHQ policy in this case.	Information not pertains to Akola
3	3 - AAI is a central government organization, Does Daily allowance policy is decided by CHQ or RHQs ?	By CHQ
4	4 - How many ATCs join AAI in 2025, And how many employees got their uniform clothing? Why Chennai new joinees didnot get the uniform? The reason for delay	Information not pertains to Akola


यदि आप प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो आरटीआई एक्ट 2005 के तहत आप इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं।

उपरोक्त जानकारी / सूचना इस कार्यालय से आपकी और प्रेषित है।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिम क्षेत्र, भाविप्रा,
नवीन एकीकृत प्रचालन कार्यालय भवन, न्यू
एयरपोर्ट कॉलोनी, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई-99

भवदीय


(योगीराज डोमाजी सोरते)

प्रभारी अधिकारी / महाप्रबंधक (एटीएम)
एवं जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिम क्षेत्र, भाविप्रा, नवीन एकीकृत प्रचालन कार्यालय भवन, न्यू एयरपोर्ट कॉलोनी, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई-99, (ध्यानार्थ: श्री डी. जी. सालवे, जन सूचना अधिकारी, प.क्षे.)